न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – संजय कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 12/2024

अन्तर्गत धारा 53, 88, 251–ए राज. काश्तकारी अधिनियम

अर्जुन खैरवा पुत्र श्री सुनील कुमार जाति जाट निवासी 2 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

....वादी

बनाम

1. सुनील पुत्र श्री फूसा राम जाति जाट निवासी 2 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री सुनील कुमार जाति जाट निवासी 2 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. श्रीमती महिमा खेरवा पुत्री श्री सुनील कुमार पत्नी श्री आदित्य कुकणा जाति जाट निवासी भागसर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

... प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा (वादी)
(प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 स्वयं उपस्थित)
पैरोकार राज (प्रति.–4)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 31.01.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वाके चक 2 एफ छोटी पटवार हल्का 18 जी जी भू. अ. निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 70/59 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2070–2073) का मुरब्बा नम्बर 6, 7 व 18 की कुल 5.566 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात माल है। उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्तशुदा है। इस प्रकार उक्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है तथा उक्त पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा अपने हिस्से का परित्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है। प्रतिवादी ने आपसी राजीनामा वा सहमति से उक्त भूमि का वादी के साथ घरू मौखिक बंटवारा किया हुआ है तथा घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी अर्जुन खैरवा को चक 2 एफ छोटी पटवार हल्का 18

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 70/59 का मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 5/1(0.228), 5/2(0.025), 6 ता 9(प्रत्येक 0. 253), 10/1(0.228), 10/2(0.025), 11/1(0.228), 11/2(0.025), 12 ता 15(प्रत्येक 0.253) कुल 2.783 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि घरू बंटवारा में दी हुई है। उक्त घरू बंटवारानामा अनुसार वादी अपने हिस्सा में आई हुई भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा मौका पर काश्त कर रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, तुम्हारे हिस्सा की भूमि तुम्हारे नाम करवा दूंगा। इसी विश्वास पर वादी ने भारी मेहनत करके व काफी धन आदि खर्च करके अपने अपने हिस्सा के रकबा में सुधार कार्य करवाए हैं। वादी पढ़ा लिखा व अग्रणी काश्तकार हैं तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्नत खेती करना चाहता हैं, मगर कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज ना होने के कारण वादी सभी सुविधाओं से वंचित रहता हैं। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 01.01.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 ने सहमति से बंटवारा करने से इन्कार कर दिया है। इसलिए वादी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः—

(1) यह कि वादी अर्जुन खैरवा को चक 2 एफ छोटी पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 70/59 का मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 5/1(0.228), 5/2(0.025), 6 ता 9(प्रत्येक 0.253), 10/1(0.228), 10/2(0.025), 11/1(0.228), 11/2(0.025), 12 ता 15(प्रत्येक 0.253) कुल 2.783 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

(2) यह कि डिक्री खाता विभाजन की जारी की जाकर भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जावे।

(3) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आपसी सहमति से इकबालिया जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार यह सही है कि भूमि पैतृक है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अपने हक वा हिस्सा का परि[illegible] में किया हुआ है तथा वह उक्त भूमि में से कोई हक वा [illegible] लेना चाहती हैं। यह सही है कि प्रतिवादी संख्या [illegible] द्वारा उक्त पैतृक [illegible] आपसी सहमति से घरू मौखिक बंटवारा करके वादी अर्जुन खैरवा [illegible] छोटी पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 70/59 का मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 5/1(0.228), 5/2(0.025), 6 ता 9(प्रत्येक 0. 253), 10/1 (0.228), 10/2(0.025), 11/1(0.228), 11/2(0.025), 12 ता 15(प्रत्येक 0.253) कुल 2.783 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि घरू बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

में दी हुई है। अतः जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी अर्जुन खैरवा को चक 2 एफ छोटी पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 70/59 का मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 5/1(0.228), 5/2(0.025), 6 ता 9(प्रत्येक 0.253), 10/1(0.228), 10/2(0.025), 11/1(0.228), 11/2(0.025), 12 ता 15(प्रत्येक 0.253) कुल 2.783 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 2 एफ छोटी, पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. क्षेत्र गोविन्दपुरा खाता संख्या 70/59 की प्रति पेश की गई। वाद में समस्त पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं समस्त पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति हो चुकी है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

–:: आदेश ::–

अतः वादी वादी मुताबिक आपसी सहमति स्वीकार किया जाकर वादी को चक 2 एफ छोटी पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 70/59 का मुरब्बा नम्बर 18 का किला नम्बर 5/1(0.228), 5/2(0.025), 6 ता 9(प्रत्येक 0.253), 10/1(0.228), 10/2(0.025), 11/1(0.228), 11/2(0.025), 12 ता 15(प्रत्येक 0.253) कुल 2.783 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय अनुसार हस्बकायदा मुकम्मल कर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 31.01.2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeenu Kulhari
Date: 2024.04.27 12:50:38 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner